

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

“कार्यालय आदेश”

उत्तराखण्ड लोक सेवाकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18(4) में निहित प्राविधानों के अनुसार विभागाध्यक्ष स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिक का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	श्री एम०एस०नेगी, मुख्य वेटेरिनरी फार्मासिस्ट	केन्द्रीय भण्डार, हरिद्वार	पशुचिकित्सालय सदर, गोपेश्वर	प्रशासनिक आधार

सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल उनके नवीन तैनाती स्थान हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(डा०प्रेम कुमार)  
निदेशक।

संख्या 1222/स्था०एक/वा०स्थाना०/2023-24

दिनांक 12 जून, 2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- वरिष्ठ निजी सचिव, मा०मंत्री जी, पशुपालन, उत्तराखण्ड सरकार को मा०मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ।
- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।

(डा०प्रेम कुमार)  
निदेशक।